

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

मुरारी लाल शर्मा,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 11/2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

-बनाम-

ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला
झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/2 खण्ड (ख)(iii)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) -----सरकार की ओर से।
2. गैर सायल की ओर सेगैर सायल स्वयं उपस्थित।

-निर्णय-

दिनांक : 12.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 06.09.2011 को गैर सायल ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला झुंझुनू, के खिलाफ न्यायालय हाजा में दायर किया जो दर्ज किया जाकर गैरसायल की तलबी के नोटिस जारी किये। दिनांक 03.11.2020 को यह प्रकरण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू के यहां स्थानान्तरित किया गया। जहां से प्रकरण पुनः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू के आदेश क्रमांक/पाठक/न्यायालय व्यवस्था/2022/1122-28 दिनांक 16.03.2022 द्वारा न्यायालय हाजा में सुनवाई बाबत स्थानान्तरित हुआ। जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल की तलबी के नोटिस पुनः जारी किये। संक्षेप में इस्तगासा का सार इस प्रकार है कि ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है जो शराब बेचने का काम करता है यह अपनी आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों से ग्राम खेड़ला का बास व आस-पास के आम लोगों को शराब बेचता है। जिससे समाज एवं नवयुवकों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है तथा इलाका में लोगों के अमन चैन को ठेस पहुंच रही है। इसके खिलाफ अब तक दो अभियोग दर्ज किये गये हैं। जिनमें से दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 19/2008-09 दिनांक 14.06.2006 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम थाना आबकारी प्रवर्तन स्टेशन चिड़ावा, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 64 दिनांक 31.03.2009 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.04.2010 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये परीविक्षा के दण्ड से दण्डित किया गया।
2. अभियोग संख्या 110/2009 दिनांक 11.04.2009 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पिलानी, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 116 दिनांक 10.06.2009 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.08.2009 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये परीविक्षा के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (iii) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया जिस पर गैर सायल दिनांक 12.09.2023 को उपस्थित हुआ। जिसे दिनांक 12.09.2023 को ही गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना आबकारी प्रवर्तन स्टेशन चिड़ावा एवं पुलिस थाना पिलानी, झुंझुनू में 2 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें दोनों ही प्रकरणों में गैर सायल परीविक्षा से दण्डित हुआ है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद

अति. जिल्के पीजस्ट्रेट
झुंझुनू

जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना सदर, झुन्झुनू में दो अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें से दोनों प्रकरणों में गैर सायल परीविक्षा से दण्डित हुआ है गैर सायल ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला झुन्झुनू राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगेकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (ख) (iii) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला झुन्झुनू को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैरसायल ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) (iii) के तहत 07 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना हमीरवास,(राजगढ) जिला चुरू निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र प्रहलाद जाट, निवासी खेड़ला का बास, थाना पिलानी, जिला झुन्झुनू उक्त 07 दिवस की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना हमीरवास(राजगढ) जिला चुरू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना पिलानी झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी झुन्झुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 12.09.2023 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

12-8-23
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सुझान

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सुझान